

न्यायालय : जिला न्यायाधीश, जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस.

सिविल नियमित अपील संख्या: 17/2023

सी.एन.आर.संख्या: 1011/2023

1. नगर परिषद दौसा जरिये आयुक्त नगर परिषद दौसा जिला दौसा।
2. आयुक्त नगर परिषद दौसा। ..अपीलांट्स प्रतिवादीगण

बनाम

केदारलाल पुत्र रामजीलाल निवासी गुमानपुरा कॉलोनी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।
....रेस्पोडेंट वादी

सिविल नियमित अपील

उपस्थित:

1. श्री अर्पण नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स प्रतिवादीगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट वादी की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 18.10.2023

1. यह अपील विद्वान सिविल न्यायाधीश, दौसा द्वारा वाद उनवानी केदारलाल बनाम नगर परिषद आदि (संख्या 128/2020) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा रेस्पोडेंट वादी द्वारा प्रस्तुत स्थायी व्यादेश के वाद को डिक्री करते हुए अपीलांट्स प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी व्यादेश पाबन्द किया है कि प्रतिवादीगण वादी के आधिक्य व स्वामित्व के रजिस्टर्ड पट्टेशुदा पुख्ता मकान कुल 367.80 वर्गगज भूमि खसरा नंबर 11 गुमानपुरा कॉलोनी वाके दौसा के पश्चिम दिशा की ओर नाली के ऊपर बनी सीढियों के किसी भी भू-भाग में किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने से तथा वादी के उक्त सीढियों के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।

2. रेस्पोडेंट वादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.12.2020 को प्रस्तुत वादपत्र के तथ्यों के अनुसार गुमानपुरा कॉलोनी वाके दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 11 में वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का रजिस्टर्ड पट्टेशुदा मकान स्थित है जिसका पट्टा प्रतिवादी संख्या 1 नगर परिषद दौसा द्वारा वादी के हक में दिनांक 21.12.2012 को विधिवत रूप से जारी किया गया है, जिसकी पैमाइश पूर्वी भुजा 61.3 फिट, पश्चिमी भुजा 61.3 फिट, उत्तरी भुजा 54 फिट व दक्षिणी भुजा 54 फिट कुल 367.80 वर्ग गज का स्थित है, जिसके पूर्व में प्लाट संख्या 66, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में रास्ता 20

राजेन्द्र कुमार

18.10.2023



फिट व दक्षिण में प्लॉट संख्या 68 अवस्थित हैं। इस प्रकार वादी उक्त वर्णित सम्पत्ति का रजिस्टर्ड पट्टेधारी स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादी के उक्त वर्णित स्वामित्व व आधिपत्य के पट्टेशुदा मकान को वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में हरुफ ए,बी,सी,डी,ए से दर्शाया गया है। वादी के उक्त वर्णित मकान के पश्चिमी दिशा की ओर हरुफ ई एफ बरंग लाल से दर्शित उक्त मकान में प्रवेश एवं निकास हेतु करीब 15 वर्ष पूर्व से सीढ़ी बनी हुई है, जिन पर होकर वादी अपने उक्त वर्णित मकान में आवागमन करता है तथा उक्त वर्णित मकान के पश्चिमी दिशा की ओर हरुफ ए से डी भुजा पर वादी के मकान में आने जाने हेतु गेट लगे हुए हैं। वादी करीब 15 वर्षों से उक्त वर्णित मकान में अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। वादी की उक्त वर्णित सीढ़ियां सी.सी. रोड़ पर नहीं बनी हुई है व उनसे किसी भी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध रास्ता में उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वादी के उक्त मकान के पश्चिमी दिशा की ओर जो रास्ता 20 फिट चौड़ा स्थित है, वह वादी के मकान से करीब 3.6 फिट गहराई में स्थित है, इसलिए वादी अपने उक्त वर्णित मकान में आवागमन हेतु पश्चिमी दिशा की ओर बनी ई से एफ बरंग लाल से दर्शित सीढ़ियों का उपयोग कर अपने उक्त वर्णित मकान में आवागमन करता है। साथ ही यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वादी लगभग 70 वर्ष की आयु का वृद्ध सीनियर सिटीजन है तथा वादी के परिवार में महिलाएं एवं छोटे बच्चे भी हैं, जिनका उक्त रास्ते से साढ़े तीन फिट ऊँचे मकान में बिना सीढ़ियों के आवागमन करना कतई सम्भव नहीं है। दिनांक 02.12.2020 को प्रतिवादीगण के अधिकारी व कर्मचारी मौका पर आये तथा उन्होंने वादी को ऐलानियां कहा कि वे वादी के मकान के पश्चिम दिशा की ओर वादी के मकान में आवागमन हेतु जो सीढ़ियां बनी हुई है, उसे हटा लेवे अन्यथा वे वादी की उक्त सीढ़ियां हटायेंगे। वादी ने उन्हें काफी समझाया कि वादी व उसके परिवारजन को अपने उक्त वर्णित मकान में आने जाने हेतु उक्त सीढ़ियों की आवश्यकता है तथा यह भी निवेदन किया कि उक्त सीढ़ियों से रास्ता किसी भी प्रकार से अवरुद्ध नहीं हो रहा है किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने तथा उन्होंने वादी को धमकी दी कि वे जल्द ही वादी की उक्त पूर्व निर्मित सीढ़ियों को तोड़कर रहेंगे व वादी के जो गेट आदि रास्ते की ओर निकले हुए हैं, उसे भी बन्द करेंगे, जिससे बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। वादी ने वाद को उचित न्याय शुल्क पर एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं अर्जेंट नेचर का बताते हुए यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का डिक्री किया जावे कि वे स्वयं अथवा अपने साथियों, सहयोगियों, ऐजेन्टों, कारीगरों, मजदूरों अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी, ठेकेदारों आदि के द्वारा वादपत्र के चरण नंबर 2 में वर्णित वादी के आधिपत्य व स्वामित्व के रजिस्टर्ड पट्टेशुदा पुख्ता मकान के पश्चिम दिशा की ओर

राजेन्द्र कुमार

18.10.2023



जो सीढ़ियां बनी हुई है, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में हरूफ ई से एफ बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है, के किसी भी भूभाग में किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ करने से, वादी के उक्त स्वामित्व व आधिकार के रजिस्टर्ड पट्टेशुदा मकान को किसी भी प्रकार की क्षति कारित करने से एवं वादी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग व रहवास में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से अथवा हर प्रकार से सदैव के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित रहे।

3. प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वादपत्र के तथ्यों का विरोध करते हुए जवाबदावा इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी ने नजरी नक्शा मौका की वास्तविक स्थिति के विपरीत पेश किया है तथा वादी के मकान में आवागमन हेतु अन्य रास्ता भी मौका पर मौजूद है। वादी ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर लगभग 46 फिट तक लम्बाई में पट्टियां रखकर रास्ते की चौड़ाई को कम कर दिया है तथा नाली में पानी के निकास को भी अवरुद्ध कर दिया है, जिसे हटाने के लिए नगर परिषद स्वतंत्र है। वादी एक अतिक्रमी है तथा एक अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, अतिक्रमी हमेशा अतिक्रमी ही रहता है। वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई भी बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध कोई भी वाद पेश करने से पूर्व धारा 304 नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है किन्तु वादी ने बिना नोटिस दिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पेश किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

4. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई:-

- (1) आया वाद के चरण संख्या 2 में वर्णित वादी के आधिपत्य व स्वामित्व के रजिस्टर्डशुदा पट्टेशुदा पुख्ता मकान के पश्चिम में बनी हुई सीढ़ियां जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में हरूफ ई से एफ बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसका उपयोग वादी पिछले निरन्तर 15 वर्षों से करता चला आ रहा है तथा उक्त सीढ़ियों के द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता अवरुद्ध नहीं हो रहा है? वादी
- (2) आया वादी के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर 46 फिट तक लंबाई में पट्टियां रखकर रास्ते को चौड़ा कर नाली के निकास को अवरुद्ध कर दिया गया है जिसे नगर परिषद की बिना अनुमति के निर्माण कार्य को हटाने के लिये प्रतिवादीगण स्वतंत्र है? प्रतिवादीगण
- (3) आया वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 304 नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत दो माह पूर्व का नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिये जाने के कारण

राजेन्द्र कुमार

18.10.2023



वाद खारिज किये जाने योग्य है?

प्रतिवादीगण

(4) अनुतोष?

5. वादीगण की ओर से साक्ष्य में केदारलाल पी.ड.1, राजेन्द्र कुमार पी.ड.2 व किशनलाल पी.ड.3 को परीक्षित करवाया गया।

6. प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादीगण का वाद उपरोक्तानुसार डिक्री किया है। अतः यह अपील पेश हुई है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स प्रतिवादीगण की दलील है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य के विपरीत एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बगैर ही वाद को डिक्री फरमाकर कानूनी त्रुटि की है। रेस्पोंडेंट वादी ने बिना कोई निर्माण अनुमति प्राप्त किये ही अवैध रूप से आम रास्ते की भूमि पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य किया है तथा नगर परिषद दौसा के सार्वजनिक आम रास्ते में लगभग 46 फिट तक लम्बाई में पट्टियां रखकर रास्ते की चौड़ाई को कम कर दिया, जिसे हटाने के लिए नगर परिषद स्वतंत्र है। वादी रेस्पोंडेंट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता संकरा कर दिया है व पानी की निकासी को अवरुद्ध कर दिया है। उक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रमाणित था, परन्तु सभी तथ्यों की अनदेखी कर वादी का वाद डिक्री कर एक अतिक्रमी को खुली छूट प्रदान कर दी है। वादी ने अपने मकान के दक्षिण दिशा की ओर भी रास्ता होना स्वीकार किया है और गेट होने के बावजूद भी वादी रेस्पोंडेंट द्वारा अपने मकान के पश्चिम दिशा की ओर स्थित आम रास्ते की भूमि को दबाते हुए करीब 45 फिट लम्बी पट्टी नालियों के ऊपर अवैध पिल्लर बनाकर रास्ता व नाली के पानी के निकास को अवरुद्ध कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। नगर परिषद दौसा को नगर परिषद अधिनियम की धारा 194 व 245 के तहत रेस्पोंडेंट द्वारा किये गये अवैध निर्माण को रोकने एवं तोड़ने का अधिकार प्राप्त है किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करके रेस्पोंडेंट के अवैध निर्माण को विधिक संरक्षण प्रदान कर दिया है तथा उसे इस अवैध निर्माण को जारी रखने की खुली छूट भी दे दी है। उनकी यह भी दलील है कि उक्त अधिनियम की धारा 245 सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर सीढ़ियां बनाने की अनुमति तो प्रदान करती है किन्तु इसमें यह उल्लेख नहीं है कि इन सिढ़ियों की नाप यानी कि उनकी लम्बाई व चौड़ाई कितनी होगी। इस कानूनी अस्पष्टता का फायदा

राजेन्द्र कुमार

18.10.2023



उठाकर ही वादी रेस्पोडेंट ने 45 फिट 6 इंच लम्बी सीढ़ी का निर्माण किया है, जो कि अपने आप में ही अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा इस सीढ़ी का निर्माण करने से 20 फिट चौड़ा रास्ता मौका पर 17 फिट का ही रह गया है। उनकी यह भी दलील है कि वादी रेस्पोडेंट ने अपना मकान बनाने से पहले नगर परिषद दौसा से अनुमति नहीं ली थी और वादी यदि सेटबैक छोड़कर विधि अनुसार निर्माण करता तो उसे इस तरह नाली के ऊपर सीढ़ियों के निर्माण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इस प्रकार वादी रेस्पोडेंट द्वारा जो मकान निर्मित किया गया है, वह ही नगर परिषद के उप विधि के अनुरूप नहीं है। अतः निवेदन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए वादी रेस्पोडेंट का वाद खारिज किया जावे।

9. विद्वान अधिवक्ता वादी रेस्पोडेंट ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनकी दलील है कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यात्मक एवं विधिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया है। वादी रेस्पोडेंट ने नाली के ऊपर सीढ़ियाँ बनाई है, जो कि अधिनियम की धारा 245 के अनुरूप हैं। सड़क 17 फिट चौड़ी है, किन्तु प्रतिवादीगण अपीलांट ने दोनों तरफ की डेढ़-डेढ़ फिट की नाप की नालियों को इसमें शामिल नहीं किया है। इस प्रकार तीन फिट की नालियों की जगह को शामिल करते हुए 20 फिट की प्रतिवादीगण अपीलांट्स द्वारा बतलाई गई सड़क की जगह अभी भी अस्तित्व में है तथा वादी रेस्पोडेंट ने नाली से बाहर एक इंच का भी निर्माण नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति को इन सीढ़ियों से आवागमन में कोई भी बाधा नहीं हो रही है। अतः निवेदन किया गया है कि अपील खारिज की जावे।

10. उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। तनकीयात बाबत् न्यायालय का निष्कर्ष निम्नप्रकार है:-

तनकी संख्या 1

11. वादी केदारलाल पी.ड.1 ने अपने शपथ पत्र में वादपत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए बताया है कि उसने अपने मकान के उत्तर दिशा में अवस्थित रास्ता की तरफ नाली के ऊपर 45 फिट लम्बी पट्टियां रखी हैं, जो सीढ़ियों के काम आती है। राजेन्द्र कुमार शर्मा पी.ड.2 ने भी अपने शपथ पत्र में साक्षी के इस कथन की ताईद की है। इन दोनों गवाहान से विस्तृत प्रति परीक्षण किया गया है किन्तु उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहलवाई जा सकी है जिससे यह इंगित हो सके कि मौके पर जो 20 फिट की रोड़ थी, वह इन सीढ़ियों के निर्माण से छोटी या तंग हो गई हो या किसी के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो।

राजेन्द्र कुमार

18.10.2023



इन गवाहान से ऐसी भी कोई बात नहीं कहलवाई जा सकी कि इन पट्टियों के रखने से नाली अवरुद्ध हो गई हो। इन गवाहान से यह भी कहलवाया गया है कि वादी का मकान पहले का बना हुआ है तथा नगर परिषद ने यह सड़क बाद में बनाई थी। इन गवाहान के कथनों के खण्डन में प्रतिवादीगण अपीलांट्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी का कथन लेखबद्ध नहीं करवाया गया है और न ही किसी अड़ोसी-पड़ोसी का कथन प्रतिवादीगण अपीलांट्स ने यह साबित करने के लिए लेखबद्ध करवाया है कि इन सीढ़ियों के निर्माण से आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो या नालियां अवरुद्ध हो गई हो।

12. श्री किशनलाल एडवोकेट को अस्थायी व्यादेश के आवेदन पत्र में कमिशनर नियुक्त किया गया था। उसे वादी रेस्पोंडेंट ने पी.ड.3 के रूप परीक्षित किया है, इस साक्षी ने नोटिस सूचना प्रदर्श 4, नोट मौका प्रदर्श 5, नजरी नक्शा प्रदर्श 6, अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 7, फोटोग्राफ्स प्रदर्श 8 व 9 को प्रस्तुत किया है। इस गवाह ने भी अपने कथन में बयान है कि नाली पर लगभग 45 फिट पट्टी रखी हुई है, यह पट्टी नाली पर पिल्लरों पर टिकी हुई है, जब वह मौका पर गया तो नाली से पानी बह रहा था तथा मौका पर 17 फिट रास्ता भी चालू था। इस साक्षी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि सीसी रोड़ पर चार पहिया वाहन यानी कि ट्रैक्टर ट्रौली, टेंकर, कार आदि बराबर आ जा सकते हैं और मौके पर रास्ता चालू है। इस प्रकार जो साक्ष्य वादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत की गई है, वह न केवल अखण्डित रही है बल्कि उससे यह स्पष्ट किया गया है कि इस नाली के ऊपर पट्टीनुमा सीढ़ी बनाने से न तो नाली अवरुद्ध हुई है और न ही रास्ता की चौड़ाई कम हुई है और न ही रास्ता में आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष अंकित किये हैं कि प्रतिवादीगण अपीलांट्स यह साबित नहीं कर पाये कि उक्त पट्टियां रखने से वादी ने कोई अतिक्रमण किया हो। विद्वान विचारण न्यायालय में यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सही होने से पुष्ट किये जाने योग्य है।

13. 2009 के उक्त अधिनियम की धारा 245 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर सीढ़ियों का निर्माण करता है तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आयेगा। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण अपीलांट्स ने इस विधिक स्थिति को स्वीकार भी किया है। उनकी यह दलील है कि उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट नहीं है कि सीढ़ियों की लम्बाई व चौड़ाई क्या होगी, इसलिए वादी रेस्पोंडेंट को यदि इतनी लम्बी पट्टी मौका पर रखनी थी तो उसे नगर परिषद की अनुमति लेनी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण अपीलांट्स की इस दलील में कोई सार नहीं पाया जाता है क्योंकि मौका पर रखी गई लम्बाई वादी रेस्पोंडेंट के मकान की लम्बाई को देखते हुए 45 फिट हो गई है तो



इससे यह नहीं माना जा सकता है कि वादी रेस्पोंडेंट द्वारा रास्ता की भूमि पर अतिचार किया गया है।

14. जहां तक वादी रेस्पोंडेंट द्वारा नगर परिषद की पूर्व अनुमति लिये बगैर अपने मकान का निर्माण करने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय ने भी निर्णय के पैरा संख्या 7/4 पृष्ठ संख्या 9 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि यदि अपने मकान का निर्माण करने में वादी रेस्पोंडेंट ने अधिनियम व उसके नियमों की पालना नहीं की है तो प्रतिवादीगण अपीलांट्स वादी के विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु वादी द्वारा नाली के ऊपर जो सीढ़ियां निर्मित की गई हैं, वह अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती है। विद्वान विचारण न्यायालय की यह फाईंडिंग भी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री व विधिक स्थिति के अनुरूप है। इसलिए तनकी संख्या 1 के सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष सही हैं।

तनकी संख्या 2

15. इस तनकी का प्रमाण भार तनकी संख्या 1 के निर्णय पर ही निर्भर करता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर यह स्पष्ट हुआ है कि वादी ने विवादित पट्टियां नाली के ऊपर ही रखी हैं, इससे न तो नाली अवरुद्ध हुई है और न ही सड़क की चौड़ाई कम हुई है। इसलिए तनकी संख्या 2 का प्रतिवादीगण के विरुद्ध करके विद्वान विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की तात्त्विक त्रुटि नहीं की है।

तनकी संख्या 3

16. 2009 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत प्रतिवादीगण अपीलांट्स को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस देने के लिए वादी रेस्पोंडेंट को कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरुद्ध करके विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई तात्त्विक त्रुटि नहीं की है।

17. उक्त विवेचन के फलस्वरूप वादी रेस्पोंडेंट का वाद डिक्री करके विद्वान विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है। अतः प्रतिवादीगण अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील काबिले खारिज है।

आदेश

18. लिहाजा अपीलांट्स प्रतिवादीगण नगर परिषद दौसा आदि की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व

राजेन्द्र कुमार

18.10.2023



डिक्री दिनांकित 02.06.2023 की पुष्टि की जाती है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

(राजेन्द्र कुमार)

जिला न्यायाधीश, दौसा

19. निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)

जिला न्यायाधीश, दौसा